(3)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड़, रायपुर
(मुख्य वन संरक्षक – राष्ट्रीय बांस मिशन)

फोन: 0771-2886422 ई मेल: mdircgbda@rediffmail.com

क्रमांक / बा.मि.-81 / बजट / 2016 / 273 दिनांक 16 .06.2016

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- राष्ट्रीय कृषिवानिकी एवं बांस मिशन योजना अंतर्गत गैर वन क्षेत्र में बांस वृक्षारोपण के संबंध में।

—00—

विषयांतर्गत राष्ट्रीय कृषिवानिकी एवं बांस मिशन योजनांतर्गत संचालित गैर वनक्षेत्र में बांस वृक्षारोपण की योजना के तहत पौधों का रोपण किसानों की पड़त भूमि, खेतों की मेड़ एवं बाड़ी में किया जाना है। योजना में एक हितग्राही को अधिकतम 800 पौधे तक दिये जा सकते है।

राष्ट्रीय कृषिवानिकी एवं बांस मिशन योजनान्तर्गत MIDH की गाईड लाईन अनुसार गैर वनक्षेत्र के अंतर्गत कार्य का प्रोजेक्ट 3 वर्ष का होगा जिसमें प्रति हे. के मान से 400 बांस पौधे लगाने हैं। तीन वर्ष हेतु 10500/- प्रति हे. राशि के प्रतिवर्ष हेतु व्यय नार्म्स निम्नानुसार है –

–: बांस वृक्षारोपण गैर वनक्षेत्र व्यय नॉर्म्स :–

क्र.	कार्य अवधि	कार्य का विवरण	राशि प्रति हे.
1.	प्रथम वर्ष	पौधे का मूल्य, परिवहन, स्टेकिंग, जुताई, रोपण, निंदाई गुडाई, कीट नाशक एवं खाद	5250/- प्रति हे. (13.125 पैसे प्रति पौधा)
2.	द्वितीय वर्ष	प्रथम अनुदान (जीवित पौधों के प्रतिशत आधार पर)	2600/- प्रति हे. (6.50 पैसे प्रति पौधा)
3.	तृतीय वर्ष	द्वितीय अनुदान (जीवित पौधों के प्रतिशत आधार पर)	2600/- प्रति हे. (6.50 पैसे प्रति पौधा)
		योग :-	**10500/-**

उपरोक्तानुसार आप अपने अधीनस्थ वनमण्डलाधिकारियों को निम्नानुसार प्रपत्र में इच्छुक हितग्राही कृषकों की सूची वनमण्डल स्तर पर संधारण करने हेतु निर्देशित का कष्ट करें। योजना का क्रियान्वयन यथासंभव क्लस्टर एप्रोच के आधार पर किया जावे।

प्रपत्र – 1

कृषकों की पड़त भूमि में वर्ष 2015–16 (रोपण वर्ष 2016) में रोपण हेतु चयनित कृषकों की सूची

क्र.	वृत्त का नाम	वनमण्डल का नाम	कृषक का नाम	पिता / पति का नाम	जाति	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हे.में)	रोपित किये गए बांस पौधों की संख्या	बांस प्रजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

रोपण उपरांत इस कार्यालय को जानकारी निम्नानुसार प्रपत्र – 2 में वृत्त स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र – 2

क्र.	वनमण्डल का नाम	हितग्राही संख्या					रोपित पौधा संख्या	अभियुक्ति
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सामान्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(अनिता नंदी)
मुख्य वन संरक्षक
(राज्य कृषिवानिकी एवं बांस मिशन)
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्रमांक / बा.मि.–81 / बजट / 2016 / 274 दिनांक 16.06.2016

प्रतिलिपि, – मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर को इस कार्यालय के पत्र क्र / बी.एम–81 / बजट / 2016 / 106 दिनांक 15.03.2016 के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित। व.म. कोरबा के पत्र पृ.क्र. / व्यय–2 / 968 दिनांक 30.05.2016 द्वारा इस कार्यलय को, वित्तीय वर्ष 2015–16 के आबंटन का समर्पण प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसका आबंटन आपके कार्यालय द्वारा पत्र क्र. / व्यय / 1647 / 2016 दिनांक 08.03.2016 द्वारा किया गया। रोपण हेतु इस कार्यालय द्वारा बजट आबंटन किया गया था। चूँकि राशि केन्द्र एवं राज्य शासन से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्राप्त हुई थी, राशि का समर्पण किया जाना संभव नही है, अतः वनमण्डलाधिकारी कोरबा को अतिशीघ्र कार्य प्रांरभ कराकर रोपण कार्य वर्षा ऋतु में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

– वनमण्डलाधिकारी, कोरबा व.म. कोरबा के पत्र पृ.क्र. / व्यय–2 / 968 दिनांक 30.05.2016 के तारतम्य मे एवं दूरभाष पर चर्चा अनुसार दिये गए निर्देशानुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य पूर्ण कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

– समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय), छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
(राज्य कृषिवानिकी एवं बांस मिशन)